न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :- प्रभातीलाल जाट R.A.S. बालोतरा

राजस्व वाद सं. 25/1993

वादीगण ब नाम प्रतिवादीगण

1. चिम्माराम 2. धरनाराम पुत्रान आईदानराम जाति जाट निवासी बजावास तहसील पचपदरा

1. धन्नाराम 2. हरजीराम 3. पीराराम पुत्रान गोमाराम 4. नरसिंगाराम पुत्र देरामाराम जातियान जाट निवासी बजावास

5. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधी भूमि-धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद सं. 146/1986

वादीगण ब नाम प्रतिवादीगण

मृतक फुसा के कायम मुकाम
1/1 मेघाराम, 1/2 दमाराम, 1/3 मानाराम 1/4 रायमलराम पुत्रान फुसाराम 1/5 हीरो, 1/6 गंगा 1/7 भंवरी 1/8 चम्पा पुत्रियां फुसाराम 1/9 नवली पत्नि फूसाराम जातियान जाट निवासी राणेरी

1. धन्नाराम 2. हरजीराम 3. पीराराम पुत्रान जाति जाट निवासी बजावास तहसील
4. मृतक आईदान के कायम मुकाम
4/1 चिमाराम, 4/2 धर्माराम पुत्रान आईदानराम
5. नरसिंगाराम पुत्र देरामाराम जाति जाट
6. दलाराम पुत्र धुड़ाराम के कायम मुकाम
6/1 हनुमानराम, 6/2 देराजराम पुत्रान दलाराम
6/3 सोनी 6/4 कानू 6/5 पारू पुत्रियां दलाराम जाति जाट
7. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधी भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर

उपस्थित – श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता
श्री चेलाराम अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 28.3.2017

वाद संख्या 25/1993 के वादीगण ने न्यायालय में वर्तमान वाद अधिकारों की घोषणा, आज्ञाज्ञा, स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का इस आशय का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है, सरहद मौजा बजावास पटवार क्षेत्र गोल स्टेशन की राजस्व सीमा में खेत खसरा संख्या 4 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 29 रकबा 116 बीघा 04 बिस्वा आया हुआ है उक्त भूमि वादीगण के पिता आईदानराम का 1/3 हिस्सा, वादीगण के दादा देरामाराम का 1/3 हिस्सा, दल्ला वल्द धुड़ा का उक्त खरीद था, उक्त भूमि तीनों के मिल कर बहिस्सा बराबर बराबर कीमत देकर खरीद की थी। बाद खरीद रेकर्ड में इसी हिस्सानुसार अमल दरामद किया गया और मौके पर कब्जा काश्त भी इसी अनुसार है, वादीगण के दादा व पिता दोनो फौत हो गये, इसलिए उक्त भूमियों में जो 1/3 हिस्सा वादीगण के पिता आईदानराम ने खरीद किया, उस हिस्से एवं देरामाराम द्वारा 1/3 हिस्सा जो खरीद किया था, उसमें देरामाराम का वारिस बतौर पुत्र वादीगण के पिता आईदानराम को 1/3 हिस्सा माफिक रजरा प्राप्त हुआ, इस प्रकार उक्त भूमियों में वादीगण का कुल हिस्सा 56 बीघा 04 बिस्वा है, उक्त भूमि पुश्तैनी मिल्कियत नहीं थी, बल्कि खरीदसुदा मिल्कियत थी । प्रतिवादी सं. 01 ता 03 ने गलत तथ्य बता कर रेकर्ड में अपने नाम 42 बीघा 04 बिस्वा भूमि गलत तौर से दर्ज करवा दी और वादीगण का हिस्सा बिना किसी वजह से घटा कर 1/6 हिस्सा दर्ज करवा दिया । उपरोक्त सभी तथ्य बिना किसी जानकारी एवं आधार के दर्ज करवादे गये । वादीगण को उक्त भूमियों में वादीगण के पिता द्वारा खरीदसुदा 1/3 हिस्सा एवं देरामाराम द्वारा खरीदसुदा हिस्से में से 1/3 हिस्सा ...

न्यायालय को प्रति–प्रेषित किया कि, पूर्व में निर्गत पत्रावली संख्या 146/1986 के वाद पत्र एवं निर्णय को अभिलेख पर लेकर उसमें अंकित वाद तथ्यों एवं पक्षकारों की जानकारी करते हुए पक्षकारों को सुनवाई एवं जवाब आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा बाद प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के विवाद बिन्दु बनाये जावे तथा विवाद बिन्दु व दोनो दावों में मांगी गयी दादरसी के आधार पर रेस्ज्यूडिकेटा के बिन्दु का भी व्यवस्थित ढग से परीक्षण किया जावे। उक्त पत्रावली अपील न्यायालय से तारीख 24.04.2001 को पुनः नम्बर पर ली गयी, तदोपरान्त प्रतिवादीगण ने दिनांक 04.02.2004 को जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि, उक्त भूमि के सम्बन्ध में जो बेचाननामा का दस्तावेज निष्पादित हुआ, उक्त दस्तावेज मे स्नेहवश आईदानराम का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज करवाया था, देरामराम ने ही 2/3 हिस्से की जमीन खरीद की थी। 1/3 हिस्सा दल्लाराम ने खरीद किया था, और इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। देरामराम ने 2/3 हिस्सा की जमीन अपने संयुक्त हिन्दू खान्दान के लिए खरीदी थी, जिसमें देरामराम के सभी वारिसान का बराबर हक हिस्सा खातेदारी का है। बाद खरीद तीनों पुत्रों में आपसी बाहमी तरवीए से बांटकर ली है, वादीगण का कोई कब्जा काश्त 1/3 हिस्से या अधिक भूमि पर नहीं रहा, रेकर्ड में अमल दरामद वाद सख्यां 46/86 में पारित डिक्री दिनांक 09.06.1987 की पालना में हो चुका है, उक्त तथ्य को वादीगण ने छिपाया है। पूर्व वाद में पारित निर्णय व डिक्री से वादीगण पाबन्द है, रेस्ज्युडिकेटा के सिद्धान्त अनुसार वादीगण वाद नहीं ला सकते, वादी का वाद खारिज किया जावे।

वाद सं. 146/86 के वाद फुसाराम ने न्यायालय में एक वाद इस आशय का पेश किया कि, भूमि खसरा संख्या 4 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 29 रकबा 116 बीघा 04 बिस्वा वक्त सेटलमेन्ट दोनो भाई (प्रतिवादी सं. 6 व वादी) शामिल रहते थे, मगर प्रतिवादी दल्लाराम बड़ा होने से वादी छोटा होने से सेटलमेन्ट अधिकारियो ने दल्लाराम अकेले के नाम रेकर्ड मे अमल दरामद कर दिया, जबकि फुसाराम भी दल्लाराम के जितना ही हकदार था, जिससे फूसाराम का नाम भी नियमानुसार रेकर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक था, रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा है और प्रतिवादी सख्यां 04 व 05 का 1/3 हिस्सा है, इसी अनुसार कब्जा है अलग अलग ढाणियां बनी हुई हैं तथा खेत में माफिक हिस्सा कदीम से काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी सं. 06 दल्लाराम जो वादी का सगा भाई है, यही आश्वासन देता रहा कि अपने दोनों के 1/3 हिस्से की भूमि जो उसके नाम दर्ज है, आधे हिस्से की जमीन की रजिस्ट्री तहसील चल कर करवा दूंगा। मगर अब जमीनों के भाव बढ जाने से दल्लाराम की नीयत में फर्क आने से वह टालम टोल करता है इसलिए आधे हिस्से की घोषणा हेतु वाद पेश किया जा रहा है। उक्त वाद में प्रतिवादी स. 04 आईदानराम के विरुद्ध तारीख 22.12.1986 को एकपक्षीय कार्यवाही हो गयी थी, किन्तु राजस्व अपील अधिकारी के द्वारा दिनांक 17.03.1999 को जो निर्णय पारित किया, उसकी पालना में प्रतिवादी स. 04 के वारिसान चिमाराम व धर्माराम जो वाद सख्या 25/1993 के वादी है, ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि, उक्त भूमियों में वादी फूसाराम का कोई हिस्सा नहीं है, इस दावे में सजरा वंश वृक्ष गलत दर्शाया है, उक्त भूमि कभी भी पैतृक सम्पत्ति नहीं रही, उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट झाबा वल्द आसा जाति कुम्हार निवासी बजावास के खातेदारी कब्जा एंव काश्त की थी खातेदार झाबा वल्द वाला ने उक्त भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 31.05.1960 को 1/3 हिस्सा आईदानराम 1/3 हिस्सा देरामराम 1/3 हिस्सा दल्लाराम को बेचान किया और इसी अनुसार मौके पर वास्तविक एव भौतिक कब्जा काश्त कायम रहा व है। बेचाननामा के अनुसार म्यूटेशन संख्या 04 ग्राम पंचायत दूधवा द्वारा तारीख 25.05.1963 को पारित किया गया। तदोपरान्त वर्ष संवत् 2021 से 2024 की जमाबंदी मे भी देरामराम 1/3 हिस्सा, आईदानराम का 1/3 हिस्सा, दल्लाराम का 1/3 हिस्सा दर्ज अंकित हुआ, वादी ने उक्त सभी सही तथ्यों को बदनियति से छिपा कर तोड़–मरोड़ कर मिथ्या कथन किये है, उक्त भूमियों में आईदानराम का 1/3 हिस्सा बराबर 42 बीघा 04 बिस्वा भूमि जरीये खरीदसुदा है, तथा देरामराम द्वारा जो 1/3 हिस्सा खरीद किया गया, देरामराम के 3 पुत्र थे, देरामराम की मृत्यु निर्वसियती होने से देरामराम के उक्त हिस्से में आईदानराम को पुत्र होने के नाते 1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ, इस प्रकार आईदानराम का भूमि खसरा संख्या 4 व 29 मे 56 बीघा 06 बिस्वा खातेदारी कब्जा काश्त है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट धुड़ाराम की नही थी, बल्कि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 06 की 1/3 हिस्सा खरीदसुदा थी। प्रतिवादी धर्माराम व चिमाराम उक्त भूमियों में 56 बीघा 06 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है, इस अनुतोष का काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया, प्रतिवादी

पीठासीन अधिकारी :- प्रभातीलाल जाट R.A.S. बालोतरा

राजस्व वाद सं. 25 / 1993

वादीगण ब नाम प्रतिवादीगण

1. चिन्नाराम 2. धरनाराम पुत्रान आईदानराम जाति जाट निवासी वजावास तहसील पचपदरा

1. धन्नाराम 2. हरजीराम 3. पीराराम पुत्रान गोमाराम 4. नरसिंगाराम पुत्र देरामाराम जातियान जाट निवासी वजावास

5. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधि भूमि-धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद सं. 146 / 1986

वादीगण ब नाम प्रतिवादीगण

मृतक फुसा के कायम मुकाम
1/1 मेघाराम, 1/2 दलाराम, 1/3 मानाराम
1/4 रायमलराम पुत्रान फुसाराम 1/5
हीरे, 1/6 गंगा 1/7 भंवरी 1/8 चम्पा
पुत्रियां फुसाराम 1/9 नवली पत्नि फुसाराम
जातियान जाट निवासी रागेरी

1. धन्नाराम 2. हरजीराम 3. पीराराम पुत्रान जाति जाट निवासी वजावास तहसील
4. मृतक आईदान के कायम मुकाम
4/1 चिमाराम, 4/2 धर्माराम पुत्रान आईदानराम
5. नरसिंगाराम पुत्र देरामाराम जाति जाट
6. दलाराम पुत्र धुड़ाराम के कायम मुकाम
6/1 हनुमानराम, 6/2 देराजराम पुत्रान दलाराम
6/3 सोनी 6/4 कानु 6/5 पारू पुत्रियां दलाराम जाति जाट
7. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधी भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर

उपस्थित – श्री अचलाराम धोरी अधिवक्ता
श्री देलाराम अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 28.3.2017

वाद संख्या 25 / 1993 के वादीगण ने न्यायालय में वर्तमान वाद अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का इस आशय का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं सरहद मौजा वजावास पटवार क्षेत्र गोल स्टेशन की राजस्व सीमा में खेत खसरा संख्या 4 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 29 रकबा 116 बीघा 04 बिस्वा, आया हुआ है उक्त भूमि वादीगण के पिता आईदानराम का 1/3 हिस्सा, वादीगण के दादा देरामाराम का 1/3 हिस्सा, दल्ला वल्द धुड़ा का वक्त खरीद था, उक्त भूमि तीनों के मिल कर बहिस्सा बराबर बराबर कीमत देकर खरीद की थी बाद खरीद रेकर्ड में इसी हिस्सानुसार अमल दरामद किया गया और मौके पर कब्जा काश्त भी इसी अनुसार है, वादीगण के दादा व पिता दोनो फौत हो गये, इसलिए उक्त भूमियों में जो 1/3 हिस्सा वादीगण के पिता आईदानराम ने खरीद किया, उस हिस्से एवं देरामाराम द्वारा 1/3 हिस्सा जो खरीद किया था, उसमें देरामाराम का वारिस बतौर पुत्र वादीगण के पिता आईदानराम का 1/3 हिस्सा माफिक शजरा प्राप्त हुआ, इस प्रकार उक्त भूमियों में वादीगण का कुल हिस्सा 56 बीघा 04 बिस्वा है, उक्त भूमि पुश्तैनी मिल्कियत नहीं थी, बल्कि खरीदसुदा मिल्कियत थी । प्रतिवादी सं. 01 ता 03 ने गलत तथ्य बता कर रेकर्ड में अपने नाम 42 बीघा 04 बिस्वा भूमि गलत तौर से दर्ज करवा दी और वादीगण का हिस्सा बिना किसी वजह से घटा कर 1/6 हिस्सा दर्ज करवा दिया । उपरोक्त सभी तथ्य बिना किसी जानकारी एवं आधार के दर्ज करवाये गये । वादीगण को उक्त भूमियों में वादीगण के पिता द्वारा खरीदसुदा 1/3 हिस्सा एवं देरामाराम द्वारा खरीदसुदा हिस्से में से 1/9 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे और उक्त भूमि का बंटवाड़ा किया जावे । वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन जारी कर तलब किया । तदोपरान्त उक्त वाद को तारीख 24.02.1997 को रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त के आधार पर वर्जित होने से खारिज किया, जिसके विरूद्ध वर्तमान प्रकरण के वादीगण के द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील संख्या 34 / 297 दायर की, जो तारीख 17.03.1999 को स्वीकार कर उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ

सहायक कलेक्टर

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'1)

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर SDO मुकाम बालोतरा कैम्प पचपदरा
बइजलास – पीठासीन अधिकारी– श्री प्रभातीलाल जाट आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 25 / 1993

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

1. चिमनाराम 2. धरमाराम पुत्रान आईदानराम जाति जाट निवासी दजावास तहसील पचपदरा

1. धन्नाराम 2. हरजीराम 3. पीराराम पुत्रान गोमाराम 4. नरसिंगाराम पुत्र देराराम जातियान जाट निवासी दजावास
5. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधि भूमि-धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद सं. 146 / 1986

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

मृतक फुसा के कायम मुकाम
1/1 मेघाराम, 1/2 दमाराम, 1/3 मानाराम
1/4 रायमलराम पुत्रान फुसाराम 1/5
हीरो, 1/6 गंगा 1/7 भंवरी 1/8 चम्पा
पुत्रियां फुसाराम 1/9 नवली पत्नि फूसाराम
जातियान जाट निवासी सणेरी

1. धन्नाराम 2. हरजीराम 3. पीराराम पुत्रान जाति जाट निवासी दजावास तहसील
4. मृतक आईदान के कायम मुकाम
4/1 चिमाराम, 4/2 धर्माराम पुत्रान आईदानराम
5. नरसिंगाराम पुत्र देराराम जाति जाट
6. दलाराम पुत्र बुधाराम के कायम मुकाम
6/1 हनुमानराम, 6/2 देराराम पुत्रान दलाराम
6/3 सोनी 6/4 कानू 6/5 नारू पुत्रियां दलाराम जाति जाट
7. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधि भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे ब हाजरी स्वयं वादीगण मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब प्रतिवादीगण मुदायलाह में पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि अतः वादी चिमनाराम, धर्माराम का वाद स्वीकार कर इस आशय की डिक्री पारित की जाती है कि मौजा दजावास के खेत खसरा संख्या 04 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 29 रकबा 116 बीघा 04 बिस्वा में वादीगण को कुल 56 बीघा 04 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि में प्रतिवादी धन्नाराम, हरजीराम, पीराराम को 14 बीघा 01 बिस्वा, प्रतिवादी नरसिंगाराम को 14 बीघा 01 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद कर रेकर्ड दुरस्त किया जावे तथा दुरस्ती विभाजन प्रस्ताव बाई मैट्स एण्ड बाउण्ड्स तरमीम के बिन्दु का ध्यान में रखा जाकर भूमिधारक प्रस्तुत करे खर्चा करिकेन अपना-अपना वहन करें

लीज .... मुबलिक .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व भारह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 03 सन् 2017 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादी वकील उपस्थित

तहसीलदार रामगढ़ ने अपने पत्रांक/भू.अ./2017/2274 दिनांक 5-7-2017 द्वारा मौका का निरीक्षण कर प्रस्ताव पेश किये जिस पर दोनों पक्षों को सुना गया दोनों पक्षों ने विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

अतः तहसीलदार रामगढ़ के मौका विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर निम्न लिखित अंतिम डिक्री पारित की जाती है।

नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	कैफियत
(1) धन्नाराम हरजीराम चिमनाराम पिसर गोमाराम जाट सा. देह खातेदार	4	7.07	बा.सो.	0.44	[illegible]
	29	6.15	—	0.41	
	2	14.02	बा.सो.	0.85	
(2) नरसिंगाराम पुत्र रामाराम जाट सा. देह खातेदार	4	3.02	बा.सो.	0.19	बीकानी
	29	11.00	—	0.66	
	2	14.02	बा.सो.	0.85	
(3) चिमनाराम कानाराम पिसर गोविंदराम जाट सा. देह खातेदार	29	14.01	बा.सो.	.84	
	301/29	21.02	"	1.27	
	302/29	21.02	"	1.27	दूरी
	3	56.05	बा.सो.	3.38	

माननीय विभाजन प्रस्ताव जारी कर स्वीकार किया जाता है। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली मौसम कुमार लेकर बाद तामील तहसीलदार मौसम कुमार लेकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर

को सुनवाई एवं जवाब आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा बाद प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के विवाद बिन्दु बनाये जावे तथा विवाद बिन्दु व दोनो दावों में मांगी गयी दादरसी के आधार पर रेस्ज्यूडिकेटा के बिन्दु का भी व्यवस्थित ढंग से परीक्षण किया जावे । उक्त पत्रावली अपील न्यायालय से तारीख 24.04.2001 को पुनः नम्बर पर ली गयी, तदोपरान्त प्रतिवादीगण ने दिनांक 04.02.2004 को जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि, उक्त भूमि के सम्बन्ध में जो बेचाननामा का दस्तावेज निष्पादित हुआ, उक्त दस्तावेज में स्नेहवश आईदानराम का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज करवाया था, देरामराम ने ही 2/3 हिस्से की जमीन खरीद की थी । 1/3 हिस्सा दल्लाराम ने खरीद किया था, और इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है । देरामराम ने 2/3 हिस्से की जमीन अपने संयुक्त हिन्दू खानदान के लिए खरीदी थी, जिसमें देरामराम के सभी वारिसान का बराबर हक हिस्सा खातेदारी का है । बाद खरीद तीनों पुत्रों में आपसी बाहमी तस्फीए से बांटकर ली है, वादीगण का कोई कब्जा काश्त 1/3 हिस्से या अधिक भूमि पर नहीं रहा, रेकर्ड में अमल दरामद वाद संख्या 46/86 में पारित डिक्री दिनांक 09.06.1987 की पालना में हो चुका है, उक्त तथ्य को वादीगण ने छिपाया है । पूर्व वाद में पारित निर्णय व डिक्री से वादीगण पाबन्द है, रेस्ज्युडिकेटा के सिद्धान्त अनुसार वादीगण वाद नहीं ला सकते, वादी का वाद खारिज किया जावे ।

वाद सं. 146/86 के वादी फुसाराम ने न्यायालय में एक वाद इस आशय का पेश किया कि, भूमि खसरा संख्या 4 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 29 रकबा 116 बीघा 04 बिस्वा वक्त सेटलमेन्ट दोनो भाई (प्रतिवादी स. 6 व वादी) शामिल रहते थे, मगर प्रतिवादी दल्लाराम बड़ा होने से वादी छोटा होने से सेटलमेन्ट अधिकारियो ने दल्लाराम अकेले के नाम रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया, जबकि फुसाराम भी दल्लाराम के जितना ही हकदार था, जिससे फूसाराम का नाम भी नियमानुसार रेकर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक था, रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा है और प्रतिवादी संख्या 04 व 05 का 1/3 हिस्सा है, इसी अनुसार कब्जा है, अलग अलग ढाणियां बनी हुई हैं तथा खेत में वाजिब हिस्सा कदीम से काश्त करते आ रहे है । प्रतिवादी स. 06 दल्लाराम जो वादी का सगा भाई है, यही आश्वासन देता रहा कि अपने दोनों के 1/3 हिस्से की भूमि जो उसके नाम दर्ज है, आधे हिस्से की जमीन की रजिस्ट्री तहसील चल कर करवा दूंगा । मगर अब जमीनों के भाव बढ़ जाने से दल्लाराम की नीयत में फर्क आने से वह टालम टोल करता है इसलिए आधे हिस्से की घोषणा हेतु वाद पेश किया जा रहा है। उक्त वाद में प्रतिवादी स. 04 आईदानराम के विरूद्ध तारीख 22.12.1986 को एकपक्षीय कार्यवाही हो गयी थी, किन्तु राजस्व अपील अधिकारी के द्वारा दिनांक 17.03.1999 को जो निर्णय पारित किया, उसकी पालना में प्रतिवादी सं. 04 के वारिसान चिमाराम व धर्माराम जो वाद संख्या 25/1993 के वादी है, ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि, उक्त भूमियों में वादी फूसाराम का कोई हिस्सा नहीं है, इस दावे में सजरा वंश वृक्ष गलत दर्शाया है, उक्त भूमि कभी भी पैतृक सम्पति नहीं रही, उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट हाथा वल्द [illegible] जाति कुम्हार निवासी बजावास के खातेदारी कब्जा एवं काश्त की थी । खातेदार हाथा वल्द [illegible] ने उक्त भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 31.05.1960 को 1/3 हिस्सा आईदानराम, 1/3 हिस्सा देरामराम 1/3 हिस्सा दल्लाराम को बेचान किया और इसी अनुसार मौके पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त कायम रहा व है । बेचाननामा के अनुसार म्यूटेशन संख्या 04 ग्राम पंचायत दूधवा द्वारा तारीख 25.05.1963 को पारित किया गया । तदोपरान्त वर्ष संवत् 2021 से 2024 की जमाबंदी में भी देरामराम 1/3 हिस्सा, आईदानराम का 1/3 हिस्सा, दल्लाराम का 1/3 हिस्सा दर्ज अंकित हुआ, वादी ने उक्त सभी सही तथ्यों को बदनियति से छिपा कर तोड़-मरोड़ कर मिथ्या कथन किये है, उक्त भूमियों में आईदानराम का 1/3 हिस्सा बराबर 42 बीघा 04 बिस्वा भूमि जरिये खरीदशुदा है, तथा देरामराम द्वारा जो 1/3 हिस्सा खरीद किया गया, देरामराम के 3 पुत्र थे, देरामराम की मृत्यु निर्वसियती होने से देरामराम के उक्त हिस्से में आईदानराम को पुत्र होने के नाते 1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ, इस प्रकार आईदानराम का भूमि खसरा संख्या 4 व 29 में 56 बीघा 06 बिस्वा खातेदारी कब्जा काश्त है । उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट धुड़ाराम की नहीं थी, बल्कि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 06 की 1/3 हिस्सा खरीदसुदा थी । प्रतिवादी धर्माराम व चिमाराम उक्त भूमियों में 56 बीघा 06 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है, इस अनुतोष का काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया, प्रतिवादी संख्या 05 नरसिंगराम ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि, उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा देरामराम ने, 1/3 हिस्सा आईदान ने, 1/3 हिस्सा दल्ला ने खरीद किया था । मैं प्रतिवादी नरसिंगराम

सहायक कलेक्टर
[illegible] बालोतरा

देराम का पुत्र होने के नाते देरानराम की खरीदशुदा 1/3 बराबर 42 बीघा 03 विस्वा भूमि में तीसरे हिस्से अर्थात 14 बीघा 01 विस्वा भूमि का खातेदार हूं । और इसी अनुसार मौके पर प्रतिवादी चिमाराम, धर्माराम के 56 बीघा 06 विस्वा भूमि, शेष भूमि पर मेगाराम के कायम मुकाम व दल्लाराम काबिज है ।

वाद संख्या 25/93, 146/1986 में जवाबदावा प्रस्तुत होने पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

तनकीयात 1 – आया विवादित आराजी खसरा संख्या 04 रकबा 10 बीघा 09 विस्वा, खसरा संख्या 29 रकबा 116 बीघा 04 विस्वा, कुल रकबा 126 बीघा 13 विस्वा में वादी एवं प्रतिवादी सं. 06 का वक्त सेटलमेन्ट से 1/3 हिस्सा खातेदारी का है, जिससे वादी 1/6 हिस्से का स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित कराने का अधिकारी है ? – वादी

तनकीयात 2 –आया वादी माफिक घोषणा 1/6 हिस्से का बंटवाड़ा कराने का अधिकारी है ?– वादी

तनकीयात 3 –आया दावा रेस्ज्युडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित है ? – वादी

तनकीयात 4 – आया देराम पुत्र मग्ना, अईदान पुत्र देराम एवं दल्ला पुत्र धुड़ा ने विवादित आराजी के हक पूर्वाधिकारी डाया पुत्र वाला से दिनांक 30.05.1960 (पंजीकरण 31.05.1960) को बहिस्सा बराबर अर्थात 1/3, 1/3 व 1/3 हिस्से की भूमि सप्रतिफल जरिये रजिस्ट्री खरीद की ?

– प्रतिवादी सं. 4/1, 4/2

तनकीयात 5 – आया माफिक प्रतीप वाद स्व. अईदान के उत्तराधिकारीगण प्रतिवादी सं. 4/1 व 4/2 (चिमा व धर्मा) माफिक बेचान विवादित आराजी में 1/3 + 1/9 बराबर 56 बीघा 06 विस्वा आराजी के स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित कराने के अधिकारी है, इसी प्रकार घोषित खातेदारी आराजी अर्थात खसरा संख्या 04 व 29 कुलिया रकबा 126 बीघा 13 विस्वा में से उनके हिस्से की 56 बीघा 06 विस्वा भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कराने का अधिकारी है ?

– प्रतिवादी सं. 4/1, 4/2

तनकीयात 6 – अनुतोष ?

पक्षकारान के जिम्मे रखी गई तनकी को साबित करने हेतु वाद संख्या 25/93 के वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लु–1, गुणेशाराम, पी.डब्लु–2, धर्माराम, पी.डब्लु–3, जयाराम, पी.डब्लु–4, नरसिंगाराम के बयान कलमबद्ध करवाये और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 से प्रदर्श–8 प्रस्तुत किये, प्रतिवादी की ओर से डी.डब्लू–1 धन्नाराम के मौखिक साक्ष्य में बयान करवाये और दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–ए1 से प्रदर्श–ए8 तक पेश किये ।

हमने दोनो पक्षों की साक्ष्य समाप्त होने पर बहस अंतिम सुनी एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, साक्ष्य का तथा प्रस्तुत हुए न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन व अध्ययन किया । तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है :–

तनकीयात 1 – आया विवादित आराजी खसरा संख्या 04 रकबा 10 बीघा 09 विस्वा, खसरा संख्या 29 रकबा 116 बीघा 04 विस्वा, कुल रकबा 126 बीघा 13 विस्वा में वादी एवं प्रतिवादी सं. 06 का वक्त सेटलमेन्ट से 1/3 हिस्सा खातेदारी का है, जिससे वादी 1/6 हिस्से का स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित कराने का अधिकारी है ? – वादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार वाद संख्या 146/86 के वादी पर था, जिसकी ओर से जो वाद न्यायालय में पेश किया, उसके समर्थन में मौखिक साक्ष्य जो आई, उसमें पी.डब्लु–1 धन्नाराम ने बयान किया कि, उक्त भूमि में दल्ला बड़ा होने से खेत का पट्टा दल्ला के नाम बना, जबकि मूसा का भी दल्ला के बराबर हिस्सा है । उक्त भूमि सामलाती की भूमि है । अलग अलग ढाणिया बनी हुई है, अलग अलग काश्त करते है । पी.डब्लु–2 ...

चिमाराम, धर्माराम के 56 बीघा 06 विस्वा भूमि, शेष भूमि पर गोमाराम के कायम मुकाम व दल्लाराम काबिज है ।

वाद संख्या 25/93, 146/1986 में जवाबदावा प्रस्तुत होने पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

तनकीयात 1 – आया विवादित आराजी खसरा संख्या 04 रकबा 10 बीघा 09 विस्वा, खसरा संख्या 29 रकबा 116 बीघा 04 विस्वा, कुल रकबा 126 बीघा 13 विस्वा में वादी एवं प्रतिवादी सं. 06 का वक्त सेटलमेन्ट से 1/3 हिस्सा खातेदारी का है, जिससे वादी 1/6 हिस्से का स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित कराने का अधिकारी है ? – वादी

तनकीयात 2 –आया वादी माफिक घोषणा 1/6 हिस्से का बंटवाड़ा कराने का अधिकारी है ?– वादी

तनकीयात 3 –आया दावा रेस्ज्युडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित है ? – वादी

तनकीयात 4 – आया देराम पुत्र मगना, आईदान पुत्र देराम एवं दल्ला पुत्र धुडा ने विवादित आराजी के हक पूर्वाधिकारी डाया पुत्र वला से दिनांक 30.05.1960 (पंजीकरण 31.05.1960) को बहिस्सा बराबर अर्थात 1/3, 1/3 व 1/3 हिस्से की भूमि सप्रतिफल जरिये रजिस्ट्री खरीद की ?

– प्रतिवादी सं. 4/1, 4/2

तनकीयात 5 – आया माफिक प्रतीप वाद स्व. आईदान के उत्तराधिकारीगण प्रतिवादी सं. 4/1 व 4/2 (चिमा व धर्मा) माफिक बेचान विवादित आराजी में 1/3 + 1/9 बराबर 56 बीघा 06 विस्वा आराजी के स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित कराने के अधिकारी है, इसी प्रकार घोषित खातेदारी आराजी अर्थात खसरा संख्या 04 व 29 कुलिया रकबा 126 बीघा 13 विस्वा में से उनके हिस्से की 56 बीघा 06 विस्वा भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कराने का अधिकारी है ?

– प्रतिवादी सं. 4/1, 4/2

तनकीयात 6 – अनुतोष ?

पक्षकारान के जिम्मे रखी गई तनकी को साबित करने हेतु वाद संख्या 25/93 के वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लु–1, गुणेशाराम, पी.डब्लु–2, धर्माराम, पी.डब्लु–3, जवाराराम, पी.डब्लु–4, नरसिंगाराम के बयान कलमबद्ध करवाये और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 से प्रदर्श–8 प्रस्तुत किये, प्रतिवादी की ओर से डी.डब्लू–1 धन्नाराम के मौखिक साक्ष्य में बयान करवाये और दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–ए1 से प्रदर्श–ए8 तक पेश किये ।

हमने दोनो पक्षों की साक्ष्य समाप्त होने पर बहस अंतिम सुनी एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, साक्ष्य का तथा प्रस्तुत हुए न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन व अध्ययन किया तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है :–

तनकीयात 1 – आया विवादित आराजी खसरा संख्या 04 रकबा 10 बीघा 09 विस्वा, खसरा संख्या 29 रकबा 116 बीघा 04 विस्वा, कुल रकबा 126 बीघा 13 विस्वा में वादी एवं प्रतिवादी सं. 06 का वक्त सेटलमेन्ट से 1/3 हिस्सा खातेदारी का है, जिससे वादी 1/6 हिस्से का स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित कराने का अधिकारी है ? – वादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार वाद संख्या 146/86 के वादी पर था, जिसकी ओर से जो वाद न्यायालय में पेश किया, उसके समर्थन में मौखिक साक्ष्य जो आई, उसमें पी.डब्लू–1 [illegible] ने बयान किया कि, उक्त भूमि में दल्ला बड़ा होने से खेत का पट्टा दल्ला के नाम बना, जबकि फूसा का भी दल्ला के बराबर हिस्सा है । उक्त भूमि सामलाती की भूमि है । अलग अलग ढाणियां बनी हुई है, अलग अलग काश्त करते है । पी.डब्लू–2 हनुमान ने बयान किया कि, वक्त सेटलमेन्ट दोनो भाई शमिल रहते थे, दल्ला बडा है, फूसा छोटा है, उक्त भूमि में फूसा का हिस्सा है । दोनो अलग अलग काश्त करते है । पी.डब्लू–3 फूसा ने कथन किया कि, हम दोनों सगे भाई है, 1/3 हिस्सा दल्ला के नाम जो दर्ज है, उसमें मेरा आधा हिस्सा है, और इसी अनुसार कब्जा काश्त है । वक्त सेटलमेन्ट दल्ला व मैं दोनो भाई शामिल रहते थे, दल्ला बडा होने से उसके अकेले का नाम

कलेक्टर

रेकर्ड में आ गया, मैं छोटा होने से मेरा नाम रेकर्ड में नहीं लिखा गया, मैं मेरे हिस्सानुसार बंटवाड़ा चाहता हूं ।

उक्त गवाहान के बयान का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आया कि, वादी कूसाराम वाद पत्र में यह कथन कर वाद पेश किया था, कि वाद से सम्बन्धित भूमि पैतृक सम्पति है, सेटलमेन्ट वालों ने उसका नाम दर्ज नहीं करके बड़े भाई का नाम दर्ज दर्ज कर दिया । जबकि पत्रावली में प्रस्तुत हुए दस्तावेज उक्त कथनों के विपरित है, उक्त सम्पति वक्त सेटलमेन्ट डाया वल्द वाला कुम्हार के खातेदारी की थी, जो जरिये रजिस्ट्री देराम, आईदान, दल्ला द्वारा बहिस्सा बराबर बराबर खरीद किया जाना और ऐसी खरीद तारीख 31.05.1960 के आधार पर म्यूटेशन संख्या 04 पारित होना पाया जाता है, और इस सम्बन्ध में खतौनी बंदोबस्त व जमाबंदी की नकल का भी अवलोकन किया गया, उपरोक्त सभी विवेचनों के अनुसार वादी कूसा अपने वाद के तथ्यों को साबित करने में असफल रहा है ।

तनकीयात 2 –आया वादी नाफिक घोषणा 1/6 हिस्से का बंटवाड़ा कराने का अधिकारी है? – वादी

उक्त तनकी संख्या 01 की अनुषांगिक तनकी है, चूँकि तनकी संख्या 01 वादी कूसाराम साबित करने में असफल रहा है, उक्त तनकी के सम्बन्ध में कोई अनुतोष पाने का अधिकारी प्रतीत नहीं हो रहा है ।

तनकीयात 3 – आया दावा रेस्ज्युडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित है ? – वादी

पूर्व में जिस वाद संख्या 146/1986 का निर्णय तारीख 09.06.1987 को हुआ, उक्त निर्णय वाद संख्या 25/1993 के हक पूर्वाधिकारी आईदानराम के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर एकपक्षीय निर्णित किया गया था, तदोपरान्त वाद सं. 25/1993 में माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा तारीख 17.03.1999 को निर्णय पारित कर दिये गये निर्देश की पालना में वाद संख्या 25/1993 के वादी जो वाद संख्या 146/86 में प्रतिवादी थे, की ओर से विस्तृत जवाबदावा तारीख 11.11.2002 को प्रस्तुत किया, जिस सम्बन्ध में तनकीयात दोनो वादों की संयुक्त रूप से तारीख 12.09.2005 को कायम हुई, चूँकि पूर्व वाद एकपक्षीय रूप से निर्णित हुआ था, तदोपरान्त पूर्व वाद में जवाबदावा प्रस्तुत हुआ, अलावा इसके वाद संख्या 25/1993 के वादीगण के अधिवक्ता का कथन है कि न्यायालय में कपट के आधार पर गलत तथ्य बता कर कोई डिक्री प्राप्त की जाती है तो ऐसी डिक्री को निरस्त करना आवश्यक नहीं है, ऐसी डिक्री को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ऐसी डिक्री प्रारंभ से ही शून्य होती है । शून्य डिक्री, कभी भी रेस्ज्युडिकेटा का प्रभाव नहीं रखती है । इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा पत्रावली एवं दस्तावेजात, पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य व पेश किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन व अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया । पूर्व में जो निर्णय हुआ, उक्त निर्णय डिक्री न्यायालय में गलत तथ्य बता कर फ्रॉड (कपट) के माध्यम से प्राप्त करना पाया जाता है, क्योंकि उक्त वादों से सम्बन्धित भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि नहीं रहकर रजिस्ट्री से खरीदसुदा सम्पति होना साबित है। उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त तनकी वाद संख्या 146/1986 वादी के विरूद्ध एवं वाद संख्या 25/1993 के वादी के पक्ष में तय की जाती है ।

तनकीयात 4 – आया देराम पुत्र मगना, आईदान पुत्र देराम एवं दल्ला पुत्र धुड़ा ने विवादित आराजी के हक पूर्वाधिकारी डाया पुत्र वाला से दिनांक 30.05.1960 (पंजीकरण 31.05.1960) को बहिस्सा बराबर अर्थात 1/3, 1/3 व 1/3 हिस्से की भूमि सप्रतिफल जरिये रजिस्ट्री खरीद की ?

– प्रतिवादी सं 4/1, 4/2

उक्त तनकी को साबित करने का भार वाद संख्या 25/21993 के वादी पर था, जिसने अपने मुख्य कथन में वाद के तथ्यों को दोहराया तथा उक्त गवाह से प्रतिवादी की ओर से जिरह की गई, जिसमें गवाह ने कथन किया कि, वादग्रस्त जमीन खरीदी तब देरामाराम जिन्दा थे, देरामारामजी मेरे दादा लगते थे .... यह कहना गलत है कि देरामजी का वादग्रस्त जमीन खरीदते वक्त संयुक्त

...नहीं रही । उक्त भूमि में 56 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर आईदान के वारिस काश्त करते हैं, उक्त तथ्य की जानकारी पड़ौसी होने के नाते है । उक्त गवाह जिरह में कथन करता हैं कि मुझे जमीन के खसरा नम्बर याद नहीं है, यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि में 2/3 हिस्सा देराम ने अपने संयुक्त हिन्दू खानदान के लिए खरीद किया हो, बेचान में आईदान का नाम स्नेहवश लिखाया हो । पीडब्लू–3 ज्वारा ने साक्ष्य दी की उक्त भूमि में 56 बीघा 04 बिस्वा पर पहले आईदान का कब्जा काश्त था, बाद में आईदान के वारिसान चिमा व धर्मा का कब्जा काश्त है, 14 बीघा, 14 बीघा भूमि पर नरसिंग व गोना के लडकों का कब्जा काश्त था, जिरह में गवाह कथन करता है कि उक्त जमीन खरीदी उस समय देरामजी जीवित थे, ... जमीन खरीद की, तब देरामजी के सभी लड़के साथ रहते हो व संयुक्त हिन्दू परिवार के लिए खरीद की हो, यह कहना गलत है कि आईदान पर विशेष प्रेम होने से उनका नाम रजिस्ट्री में लिखाया हो । पी.डब्लू–4 नरसिंग ने कथन किया कि, उक्त भूमि में मेरे पिता ने 1/3 हिस्सा खरीद किया था, 1/3 हिस्सा आईदानराम ने और 1/3 हिस्सा दल्ला ने खरीदा था, इसी अनुसार कब्जा काश्त है, और म्यूटेशन भी इसी अनुसार भर गया । उक्त भूमि पैतृक भूमि होने के कथन फूसाराम ने गलत बताये है, इस भूमि में आईदान का 56 बीघा 04 बिस्वा हिस्सा है । मेरा हिस्सा 1/9 बराबर 14 बीघा 01 बिस्वा है । डी.डब्लू–1 धन्नाराम ने साक्ष्य दी कि, उक्त खेत में 2/3 हिस्सा देरामराम ने खरीदा था, आईदानराम का नाम स्नेहवश लिखवाया था, जिरह में उक्त गवाह कथन करता है कि यह बात सही है कि रजिस्ट्री मे आईदान पुत्र देराम का नाम बतौर खरीददार लिखा हुआ है,.... यह बात सही है कि जमाबंदी खतौनी संवत् 2021–24 में बतौर खातेदार देराम वल्द मगना 1/3 हिस्सा, आईदान वल्द देराम 1/3 हिस्सा, दल्ला वल्द धुका 1/3 हिस्सा दर्ज है, यह बात सही है कि विवादित जमीन खसरा संख्या 04 व 29 मग्नाराम के खातेदारी की नहीं थी...... यह बात सही है कि देरामराम ने अपने जीवनकाल में सम्पति बाबत कोई वसीयत किसी के पक्ष में नहीं लिखी थी । उपरोक्त सभी विवेचन एवं दस्तावेजात पंजीकृत बेचाननामा, म्यूटेशन, जमाबंदी, मिसल बंदोबस्त का अवलोकन व अध्ययन करने से यह तथ्य साबित हैं, कि उक्त भूमि डाया वल्द बाला के नाम की थी, जो जरिये रजिस्ट्री आगे बेचान हुई थी । प्रतिवादी धन्नाराम के जवाबदावा अनुसार भी यदि 2/3 हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि देरामजी द्वारा खरीदने का बिन्दु माना भी जावे तो भी वादीगण चिमाराम व धर्माराम किसी भी सूरत में खरीदशुदा रकबे में 1/6 हिस्से के खातेदार नहीं हो सकते, क्योंकि कुल 2/3 हिस्से की भूमि 84 बीघा 06 बिस्वा होती है और उसमें 3 हिस्से करने पर भी प्रत्येक के हिस्से में 28 बीघा 03 बिस्वा भूमि आती है, जबकि वर्तमान रेकर्ड अनुसार वादी चिमा व धर्मा का रेकर्ड में 1/6 हिस्सा ही दर्ज किया हुआ है, उक्त हिस्सा किस आधार पर दर्ज हुआ और 1/6 हिस्सा किस माध्यम से दर्ज हुआ, इस सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज/स्पष्टीकरण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। इस प्रकार उपरोक्त तनकी वाद सं. 25/93 के वादी ने बखूबी अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित की है । उपरोक्त तनकी का निर्णय वाद संख्या 25/93 के वादी के हक में किया जाता है।

तनकीयात 5 – आया माफिक प्रतीप वाद स्व. आईदान के उत्तराधिकारीगण प्रतिवादी सं. 4/1 व 4/2 (चिमा व धर्मा) माफिक बेचान विवादित आराजी में 1/3 + 1/9 बराबर 56 बीघा 08 बिस्वा आराजी के स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित कराने के अधिकारी है, इसी प्रकार घोषित खातेदारी आराजी अर्थात खसरा संख्या 04 व 29 कुलिया रकबा 126 बीघा 13 बिस्वा में से उनके हिस्से की 56 बीघा 08 बिस्वा भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डरीज बंटवाड़ा कराने का अधिकारी है ?

– प्रतिवादी सं. 4/1, 4/2

चूंकि तनकी संख्या 04 प्रतिवादी सं. 4/1, 4/2 (वादी सं. 146/86) ने बखूबी अपने हक में साबित की है । पंजीकृत बेचाननामा जो प्रदर्श–6 है में भी 3 खरीददारान का नाम अंकित है, जिसमें यह भी अंकित है, बहिस्सा बराबर बराबर यानि की उक्त भूमि तीनों व्यक्तियों ने बराबर हिस्से में खरीद करना साबित है, तथा पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी है जिससे यह साबित होता हो कि वाद संख्या 146/86 व 25/93 के पक्षकारान का संयुक्त परिवार रहा हो और उक्त सम्पति पैतृक सम्पति हो, जरिये रजिस्ट्री 1/3 हिस्सा देरामराम ने खरीद किया, देरामराम वाद सं. 25/93 के वादीगण के दादा है, और इस सम्बन्ध में जो साक्ष्य एवं स्वीकृति पत्रावली पर आयी है, उसके अनुसार यह साबित है कि देरामराम ने अपने जीवनकाल मे किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई वसीयत नहीं की थी, धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार यदि खातेदार की निर्वसीयती मृत्यु होती है तो उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान उसकी सम्पति के हकदार होंगे, ...

उक्त गवाहान के बयान का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आया कि, वादी फूसाराम वाद पत्र में यह कथन कर वाद पेश किया था, कि वाद से सम्बन्धित भूमि पैतृक सम्पति है, सेटलमेन्ट वालों ने उसका नाम दर्ज नहीं करके बड़े भाई का नाम दर्ज दर्ज कर दिया । जबकि पत्रावली में प्रस्तुत हुए दस्तावेज उक्त कथनों के विपरीत है, उक्त सम्पति वक्त सेटलमेन्ट डाया वल्द वाला कुम्हार के खातेदारी की थी, जो जरिये रजिस्ट्री देराम, आईदान, दल्ला द्वारा बहिस्सा बराबर बराबर खरीद किया जाना और रेरी खरीद तारीख 31.05.1960 के आधार पर म्यूटेशन संख्या 04 पारित होना पाया जाता है, और इस सम्बन्ध में खतौनी बंदोबस्त व जमाबंदी की नकल का भी अवलोकन किया गया, उपरोक्त सभी विवेचनों के अनुसार वादी फूसा अपने वाद के तथ्यों को साबित करने में असफल रहा है

तनकीयात 2 –आया वादी मफिक घोषणा 1/6 हिस्से का बंटवाड़ा कराने का अधिकारी है? -- वादी

उक्त तनकी संख्या 01 की अनुषांगिक तनकी है, चूंकि तनकी संख्या 01 वादी फूसाराम साबित करने में असफल रहा है, उक्त तनकी के सम्बन्ध में कोई अनुतोष पाने का अधिकारी प्रतीत नहीं हो रहा है ।

तनकीयात 3 – आया दावा रेस्ज्युडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित है ? -- वादी

पूर्व में जिस वाद संख्या 146/1986 का निर्णय तारीख 09.06.1987 को हुआ, उक्त निर्णय वाद संख्या 25/1993 के हक पूर्वाधिकारी आईदानराम के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर एकपक्षीय निर्णित किया गया था, तदोपरान्त वाद सं. 25/1993 में माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा तारीख 17.03.1999 को निर्णय पारित कर दिये गये निर्देश की पालना में वाद संख्या 25/1993 के वादी जो वाद संख्या 146/86 में प्रतिवादी थे, की ओर से विस्तृत जवाबदावा तारीख 11.11.2002 को प्रस्तुत किया, जिस सम्बन्ध में तनकीयात दोनो वादों को संयुक्त रूप से तारीख 12.09.2005 को कायम हुई, चूँकि पूर्व वाद एकपक्षीय रूप से निर्णित हुआ था, तदोपरान्त पूर्व वाद में जवाबदावा प्रस्तुत हुआ, अलावा इसके वाद संख्या 25/1993 के वादीगण के अधिवक्ता का कथन है कि न्यायालय में कपट के आधार पर गलत तथ्य बता कर कोई डिक्री प्राप्त की जाती है तो ऐसी डिक्री को निरस्त करना आवश्यक नहीं है, ऐसी डिक्री को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ऐसी डिक्री प्रारंभ से ही शून्य होती है । शून्य डिक्री, कभी भी रेस्ज्युडिकेटा का प्रभाव नहीं रखती है । इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा पत्रावली एंव दस्तावेजात, पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य व पेश किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन व अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया । पूर्व में जो निर्णय हुआ, उक्त निर्णय डिक्री न्यायालय में गलत तथ्य बता कर फ्रॉड (कपट) के माध्यम से प्राप्त करना पाया जाता है, क्योंकि उक्त वादों से सम्बन्धित भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि नहीं रहकर रजिस्ट्री से खरीदसुदा सम्पति होना साबित है। उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त तनकी वाद संख्या 146/1986 वादी के विरुद्ध एवं वाद संख्या 25/1993 के वादी के पक्ष में तय की जाती है ।

तनकीयात 4 – आया देराम पुत्र मगना, आईदान पुत्र देराम एवं दल्ला पुत्र धुड़ा ने विवादित आराजी के हक पूर्वाधिकारी डाया पुत्र वाला से दिनांक 30.05.1960 (पंजीकरण 31.05.1960) को बहिस्से बराबर अर्थात 1/3, 1/3 व 1/3 हिस्से की भूमि सप्रतिफल जरिये रजिस्ट्री खरीद की ?

-- प्रतिवादी सं. 4/1, 4/2

उक्त तनकी को साबित करने का भार वाद संख्या 25/21993 के वादी पर था, जिसने अपने मुख्य साक्ष्य में वाद के तथ्यों को दोहराया तथा उक्त गवाह से प्रतिवादी की ओर से जिरह की गई, जिसमें गवाह ने कथन किया कि, वादग्रस्त जमीन खरीदी तब देरामाराम जिन्दा थे, देरामारामजी मेरे दादा लगते थे ...., यह कहना गलत है कि देरामजी का वादग्रस्त जमीन खरीदते वक्त संयुक्त परिवार हो व सभी लड़के साथ में रहते हो, ... यह कहना गलत है कि संयुक्त हिन्दू परिवार की रकम से देरामाराम ने 2/3 हिस्सा खरीदा हो ...... यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि में देरामजी के सभी लड़कों का बराबर हिस्सा हो ...... मेरे पिताजी, मेरे दादा से कब अलग हुए, मुझे पता नहीं है, इस सम्बन्ध में डी.डब्लू–1 गणेशाराम की साक्ष्य रही है कि भूमि खसरा संख्या 4, 29 मेरे पिता डायाराम के खातेदारी की थी, जो जरीये रजिस्ट्री 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा देराम पुत्र मगना, आईदान पुत्र देराम, दल्ला पुत्र धुड़ा को बेचान की थी, उक्त भूमि देराम या उनके वारिसान की पैतृक

सहायक कलेक्टर

मे 1/3 हिस्सा आईदान ने खरीद किया था, और आईदानराम जो देराम्रान का लड़का था, देराम्राम ने जो 1/3 हिस्सा खरीद किया, देरानराम की मृत्यु होने पर वसीयत के अभाव में समान रूप से देरानराम के तीनों ही पुत्रों का समान हिस्सा यानि देरामराम के हिस्से में 1/9, 1/9 व 1/9 के हकदार होंगे, इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद संख्या 25/93 के वादीगण कुल 42 बीघा 03 बिस्वा + 14 बीघा 04 विस्वा बराबर 56 बीघा 04 बिस्वा भूमि के खातेदारी हक पाने के अधिकारी है, तथा इसी अनुसार बंटवाडा कराने के अधिकारी है । उक्त तनकी वाद स. 25/93 के वादी के हक में निर्णित की जाती है।

तनकीयात 6 — अनुतोष ?

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद सं. 25/1993 वादी चिमनाराम बनाम प्रतिवादी धन्नाराम वगैरा डिक्री किये जाने योग्य होने से वादीगण घोषणा का अनुतोष व बंटवाडा का अनुतोष पाने का अधिकारी है ।

अतः वादी चिमाराम, धर्माराम का वाद स्वीकार कर इस आशय की डिक्री पारित की जाती है कि मौजा वजावास के खेत खसरा संख्या 04 रकबा 10 बीघा 09 विस्वा, खसरा संख्या 29 रकबा 116 बीघा 04 विस्वा में वादीगण को कुल 56 बीघा 04 विस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि में प्रतिवादी धन्नाराम, हरजीराम, पीराराम को 14 बीघा 01 विस्वा, प्रतिवादी नरसिंगाराम को 14 बीघा 01 विस्वा का खातेदार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद कर रेकर्ड दुरस्त किया जावे । बाद दुरस्ती विभाजन प्रस्ताव बाई मीटस एण्ड बाउण्डरा आवागमन के बिन्दु को ध्यान में रख कर भूमिधारक प्रस्तुत करें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें । डिक्री पर्चा तैयार हो ।

निर्णय आज तारीख 28-3-17 को सुनाया गया ।

(प्रमातीलाल जाट)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.),
बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

बालोतरा